न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 148/2017 **दायरा दिनांक : 13.11.2017**

उनवान

1— सखावत उल्ला खां आत्मज श्री सलामतुल्ला खॉ, जाति मुसलमान, उम्र 92 साल, निवासी छत्रपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ हाल निवासी ग्राम अलोद, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी

2— इनायत उल्ला आत्मज श्री सखावत उल्ला, आयु 50 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी छत्रपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ हाल निवासी ग्राम अलोद, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी

.... अपीलांट

बनाम

1— मोहम्मद सलीम आत्मज श्री मोहम्मद शिवली, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— मोहम्मद सलीम आत्मज श्री मोहम्मद शिवली, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— श्रीमती सरीफन बेगम पुत्री श्री मोहम्मद शिवली, जाति मुसलमान, निवासी जयदाय विभाग के सामने, भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4— श्रीमती फरजाना पुत्री मोहम्मद शिवली पत्नी श्री अब्दुल मन्नान, जाति मुसलमान, निवासी खारी बावड़ी, नला मोहल्ला के पास, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

5— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, पचपहाड़, जिला झालावाड़

6— शमशद बैगम बेवा मोहम्मद शिवली (फौत) (नाम डिलीट)

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री जय कुमार चित्तौडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अभितोष आचार्य अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.07.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 90/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट वादीगण ने रेस्पोडेंट प्रतिवादी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा ग्राम रामनिवास, तहसील पचपहाड़ अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 1 के दादा स्वर्गीय श्री सलामतुल्ला खॉ के खाते की भूमि है जिसको अकेले रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता श्री मोहम्मद शिवली ने अकेले अपने खाते में अंकित करवा लिया जबकि भूमि पर वादी व प्रतिवादी का संयुक्त हिस्सा है इस कारण भूमि विवादित को वादीगण को प्रतिवादी के साथ संयुक्त खातेदार घोषित किया जाकर विधिवत रूप से आराजी का बंटवारा किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री वस्तुस्थिति एवं विधि विधान के सर्वथा विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प गणेशपुरा की सूचना नहीं दी गई । इस प्रकार बिना सुनवाई का अवसर दिये व तारीख पेश की जानकारी दिये अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की वह खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तो मान लिया

गया कि विवादित भूमि अपीलांट संख्या 1 के पिता श्री सलामतुल्ला खॉ के नाम खाते में दर्ज है लेकिन सलामतुल्ला के पिता का क्या नाम था ? यह अंकित नहीं होने से उक्त भूमि वादी संख्या 1 के पिता की होना नहीं मानने में भंयकर कानूनी त्रुटि की गई है तथा प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया था । विवादित आराजी वादी संख्या 1 के पिता श्री सलामतुल्ला खॉ के खाते में अंकित है यह स्पष्ट है तो फिर उसमें वादी का ही हित निहित है । इसकी अनदेक्षी कर संपूर्ण प्रक्रिया अपनाये बगैर निर्णय पारित किया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.10.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपीलांट अपने पक्ष में कोई तथ्य एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा